



अण्डमान निकोबार द्वीप समूह



रजि.न.34300/80 संख्या 116 श्री विजय पुरम, रविवार, 03 मई 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रुपए

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने राधानगर समुद्री तट पर पानी के भीतर सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर रचा इतिहास

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ वैश्विक पहचान हासिल

माननीय उप राज्यपाल ने गोताखोरों, अधिकारियों एवं सभी हितधारकों की टीमवर्क व समर्पण की सराहना की



श्री विजय पुरम, 2 मई अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने आज पानी के भीतर सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करते हुए इतिहास रच दिया। 60x40 मीटर आकार का यह राष्ट्रीय ध्वज राधानगर समुद्री तट बीच पर फहराया गया।

माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) ने स्वराज द्वीप में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। लगभग 200 स्कूबा गोताखोरों की सहभागिता के साथ पानी के भीतर इस विशाल राष्ट्रीय ध्वज का सफलतापूर्वक फहराया गया। इस उपलब्धि ने द्वीपसमूह की विश्वस्तरीय अंडरवॉटर अन्वेषण एवं स्कूबा डाइविंग गंतव्य के रूप में पहचान को और अधिक सुदृढ़ किया है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, डॉ. चंद्र भूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, श्री एच. एस. घालीवाल, सहित पर्यटन विभाग तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पर्यटन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस, वन विभाग, भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक के कार्मिकों के साथ-साथ द्वीपों के विभिन्न डाइविंग केंद्रों से जुड़े स्कूबा गोताखोरों ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई। सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट समन्वय, योजना और क्रियान्वयन इस उपलब्धि की सफलता का मुख्य आधार रहा।

कार्यक्रम के सफल समापन के उपरान्त, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक श्री ऋषि नाथ ने आधिकारिक रूप से नए विश्व रिकॉर्ड की घोषणा की और माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को प्रमाणपत्र प्रदान किया।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय उप राज्यपाल ने सभी गोताखोरों, अधिकारियों एवं संबं

धितधारकों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके अद्वितीय टीमवर्क, अथक परिश्रम, समर्पण एवं प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों, न केवल द्वीपसमूह की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर बढ़ाती हैं, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी प्रोत्साहित करती हैं और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस उपलब्धि ने द्वीपों की विशिष्ट उपलब्धियों की विरासत में एक नया अध्याय जोड़ दिया है और आने

वाले समय में इस प्रकार के और भी नवाचारपूर्ण प्रयासों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

उत्कृष्टता की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, **Tallest Human Stack** शीर्षक से एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास 3 मई 2026 को प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक लाइटहाउस डाइव साइट पर आयोजित किया जाएगा। इस रिकॉर्ड प्रयास में भी माननीय उप राज्यपाल अन्य गोताखोरों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यह आगामी आयोजन भी द्वीपसमूह की क्षमताओं, समन्वय और साहसिक गतिविधियों की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करेगा।

वर्तमान जल स्थिति की समीक्षा हेतु एक संयुक्त बैठक

श्री विजय पुरम, 2 मई एसवीपीएमसी की अध्यक्षता में अध्यक्ष, एसवीपीएमसी के नेतृत्व में तथा सचिव, एसवीपीएमसी की उपस्थिति में, एसवीपीएमसी एवं पीएचडीडी, एपीडब्ल्यूडी के पार्षदों एवं अभियंतों के साथ वर्तमान जल स्थिति की समीक्षा हेतु एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान वार्ड संख्या 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 एवं 24 में जारी जल संकट पर विस्तार से चर्चा की गई। पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें बर्ड लाइन क्षेत्र में अतिरिक्त जल स्रोतों की पहचान भी शामिल है। जलाशयों के जल स्तर की स्थिति की समीक्षा की गई तथा जल आपूर्ति में तत्काल वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया। सचिव, एसवीपीएमसी ने प्रभावित वार्डों के पार्षदों से इस अवधि के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है। पार्षदों को यह भी सलाह दी गई कि वे टैंकर मालिकों, बोरेवेल मालिकों तथा अन्य संगठित जल स्रोत उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि विभाग को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, सचिव ने पार्षदों से अपील की कि वे निवासियों को वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करें तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, जिससे इस जल संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सके। प्राप्त विज्ञापित में परिषद ने इस चुनौतीपूर्ण समय में सहयोग प्रदान करने वाले सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया।



माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) ने 1 मई, 2026 को शहीद द्वीप के अपने दौरे के दौरान अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पीपीपी मॉडल के तहत रैडिसन होटल्स को आर्बिट्रि स्थल का निरीक्षण किया।

ऐसी कई आगामी परियोजनाएं अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को सतत, उच्च-स्तरीय लक्जरी पर्यटन एवं आतिथ्य के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं, जो वैश्विक हरित मानकों के अनुरूप होंगी और द्वीपों में रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगी। माननीय उप राज्यपाल ने सीतापुर में स्थित 3200 वर्ग मीटर के आम के बाग का भी दौरा किया, जो माननीय उप राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील आम किसान श्री चिंताहरण विश्वास के स्वामित्व में है। इस बाग में आम की 100 से अधिक कलमी किस्में हैं, जिनमें उनके नाम पर पंजीकृत एक विशेष किस्म 'चिंता आम' भी शामिल है, जिसे पीपीवीएफआरए, भारत में पंजीकृत किया गया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना सामरिक महत्व, सतत विकास

ग्रेट निकोबार परियोजना का उद्देश्य इस द्वीप को एक रणनीतिक समुद्री और आर्थिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। पूर्व-पश्चिम शिपिंग मार्ग से इसकी निकटता (लगभग 40 नॉटिकल मील) का लाभ उठाते हुए, यह परियोजना विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगी। साथ ही, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को सर्वोपरि रखते हुए यह भारत की समुद्री सीमाओं को नई मजबूती प्रदान करेगी।

इस परियोजना में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स शामिल हैं— 14.2 मिलियन टर्बेट फुट इक्विवैलेंट यूनिट (एमटीईयू) क्षमता वाला एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट (4000 पीक आकर पैसंजस क्षमता), 450 एमवीए गैस-सोलर पावर प्लांट और एक प्लान्ड टाउनशिप।

यह विकास एक रेगुलेटेड एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें ईआईए नोटिफिकेशन 2006 और आईसीआरजेड नोटिफिकेशन 2019 के तहत मंजूरी प्राप्त की गई है। इस परियोजना में 42 कम्प्लायंस कंडीशंस का पालन अनिवार्य है। इसके तहत द्वीप के केवल 1.82 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर का डायवर्जन किया जाएगा, जिसके बदले में 97.30 वर्ग किमी क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना बनाई गई है।

जनजातीय कल्याण इस परियोजना के केंद्र में है, जिसके अंतर्गत शॉपेन और निकोबारी समुदायों के लिए किसी भी प्रकार का विस्थापन प्रस्तावित नहीं है। इसके अतिरिक्त, पुनः अधिसूचना उपायों के माध्यम से अधिसूचित जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के कुल दायरे में शुद्ध वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है।

ग्रेट निकोबार परियोजना एक सामरिक पहल है, जिसका उद्देश्य अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाना है। यह परियोजना बंदरगाह-आधारित विकास और सटीक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ-साथ स्थानीय मूल समुदायों के संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। सामरिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के अनूठे संगम के माध्यम से, यह परियोजना सुनिश्चित करती है कि ग्रेट निकोबार का विकास न केवल समावेशी और सतत हो, बल्कि राष्ट्रहित के भी पूर्णतः अनुरूप हो।

इस परियोजना में शामिल हैं— इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी), जिसकी क्षमता 14.2 मिलियन टीईयू (टर्बेट-फुट इक्विवैलेंट यूनिट) है।

उर्वरकों का संतुलित उपयोग—समय की आवश्यकता : आईसीएआर—सीआईएआरआई ने पारिवारिक किसानों को किया जागरूक

श्री विजय पुरम, 2 मई (आईसीएआर—सीआईएआरआई), श्री विजय पुरम, के द्वारा 1 मई 2026 को दक्षिण अण्डमान के कालिकट, श्री विजय पुरम में "उर्वरकों का संतुलित उपयोग—समय की आवश्यकता" विषय पर किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीपीय परिस्थितियों में मृदा एवं जल संरक्षण तथा सतत कृषि के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना था।

आईसीएआर—सीआईएआरआई के वैज्ञानिकों की टीम, जिसका नेतृत्व डॉ. एम. मुद्गानन्दम, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, मत्स्य विज्ञान प्रभाग ने किया, ने फसल उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने तथा पर्यावरणीय जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए जैविक, जैव एवं अकार्बनिक पोषक स्रोतों के समन्वित उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।

आईसीएआर और भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में अपने कार्यकाल के दौरान ढालू भूमि एवं उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि प्रबंधन के व्यापक अनुभव का उल्लेख करते हुए डॉ. मुद्गानन्दम ने बताया कि जैविक खादों और जैव उर्वरकों का संतुलित उपयोग, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों का प्रभावी पूरक है। उन्होंने मेडबंदी, ट्रैचिंग, समोच्च खेती, मल्लिंग, हरी खाद, आवरण फसलें तथा मिश्रित खेती, अंतरवर्तीय खेती और फसल चक्र जैसी उन्नत कृषि प्रणालियों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। ये उपाय विशेष रूप से द्वीपों की उच्च वर्षा और सीमित संसाधनों वाली परिस्थितियों में वर्षा जल अपवाह और मृदा अपरदन को कम करने, नमी संरक्षण, पोषक तत्वों की हानि रोकने तथा फसल उत्पादकता बनाए रखने में अत्यंत सहायक हैं।



ग्रेट निकोबार परियोजना सामरिक महत्व — पृष्ठ 1 का शेष

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी क्षमता व्यस्त समय में 4000 पैसेंजर्स प्रति घंटा होगी। ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 450 एम्पीए (मेगावॉल्ट एम्पीयर) क्षमता का एक हाइड्रिक बिजली संयंत्र, जो प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगा।

यह विकास कार्य एक संवेदनशील और समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें स्थानीय मूल समुदायों की आवश्यकताओं और द्वीप के पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण को सर्वोपरि रखा गया है। यह योजना सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करती है तथा ऐसे विकल्पों को प्राथमिकता देती है जो पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के मध्य एक आदर्श संतुलन स्थापित करते हैं।

भारतीय बंदरगाहों में विशालकाय पोतों के लिए आवश्यक गहराई वाले बर्थ की कमी है। इसी कारण, भारतीय कार्गो को कोलंबो और सिंगापुर के माध्यम से भेजा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत को भारी राजस्व की हानि होती है। म्यांमार, चीन और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश इस समुद्री व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तीव्रता से गहरे पानी की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं।

इस संदर्भ में, आईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास के हिस्से के रूप में गैलाथिया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) विकसित किया जा रहा है। प्रस्तावित हवाई अड्डे, टाउनशिप और पावर प्लांट के साथ मिलकर, गैलाथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पूरे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के एक प्रमुख बुनियादी ढांचागत घटक के रूप में स्थापित है। यह बंदरगाह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईस्ट-वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट के अत्यंत निकट (लगभग 40 नॉटिकल मील की दूरी पर) स्थित है और यहाँ 20 मीटर से अधिक की प्राकृतिक गहराई है। अपनी इसी रणनीतिक स्थिति के कारण यह श्वेतेश्वर और स्ट्रॉसशिपमेंट दोनों प्रकार के कार्गो को आकर्षित करने में सक्षम है, जिससे कोलंबो, सिंगापुर और क्लॉंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम होगी। इस परियोजना को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा उपस्थिति को सुदृढ़ करने, द्वीपों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और इस क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के लिए तैयार किया गया है।

इस द्वीप पर विश्व स्तरीय पर्यावरणीय संसाधन उपलब्ध हैं, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखते हैं। कनेक्टिविटी में सुधार और द्वीप को पर्यटन के लिए खोलने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अनिवार्य है। भौगोलिक दृष्टि से यह द्वीप सैगैंग सिटी, फ्लूकेट द्वीप और लंगकावी द्वीप जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के अत्यंत निकट है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा सालाना लगभग 1.8 मिलियन यात्रियों का आवागमन संभालता है। ऐसी संभावना है कि नया हवाई अड्डा अपने उद्घाटन के समय कम से कम 1 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा, जिसकी संख्या भविष्य में बढ़कर 10 मिलियन यात्री प्रति वर्ष तक पहुँचने का अनुमान है।

इस प्रस्तावित टाउनशिप का उद्देश्य द्वीप के बंदरगाह-आधारित विकास से उत्पन्न होने वाली आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह समग्र एकीकृत विकास ढांचे के अनुरूप, कार्यरत कर्मियों, सेवा प्रदाताओं और संबंधित आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी।

ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, हवाई अड्डे और संबंधित शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के सुचारु संचालन के लिए विश्वसनीय विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर अपरिहार्य है। वर्तमान में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऊर्जा का मुख्य स्रोत डीजल जेनरेटिंग सेट है। इस विद्युत संयंत्र का प्राथमिक उद्देश्य बिना किसी व्यक्तान के उच्च गुणवत्ता वाली और विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा प्रदान करना है। इस प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि किसी एक मुख्य पुर्जे के खराब होने पर भी बिजली की आपूर्ति निरंतर बनी रहे। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों की भी योजना बनाई जाएगी। निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति द्वीप की जीडीपी में वृद्धि सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख कारक है।

ग्रेट निकोबार परियोजना को तीन अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है — चरण I (2025-35, 72.12 वर्ग किमी), चरण II (2036-41, 45.27 वर्ग किमी), चरण III (2042-47, 48.71 वर्ग किमी)

यह परियोजना कुल 166.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें 35.35 वर्ग किलोमीटर राजस्व भूमि और 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि सम्मिलित है। यह चरणबद्ध दृष्टिकोण न केवल व्यवस्थित बुनियादी ढांचे के विकास को संभव बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक चरण में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण संबंधी उपायों को प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जाए।

इस परियोजना के सामरिक और आर्थिक महत्व को हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में ग्रेट निकोबार को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता से बल मिलता है। इस परियोजना में जमीन का सही इस्तेमाल करने और पर्यावरण का पूरा ख्याल रखने पर जोर दिया गया है, ताकि आने वाले समय में इस पूरे इलाके को बड़ा फायदा मिल सके। साथ ही, इस काम में पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों (ईआईईए) और कानूनी स्वीकृतियों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।

सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईईए) एक प्रमुख साधन है। ईआईईए अधिसूचना, 2006 के नियमों के अनुसार, विशेष श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञ समितियों परियोजना के प्रस्तावों की गहराई से जाँच करती हैं, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करती हैं और उसी आधार पर परियोजना को मंजूरी देने या न देने की अनुशंसा करती हैं।

परियोजना ने स्क्रीनिंग (छंटनी), स्कोपिंग (कार्य-क्षेत्र निर्धारण), जन-पारामर्श और मूल्यांकन की एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद, ईआईईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

पर्यावरणीय स्वीकृति में वायु, जल, ध्वनि, अपशिष्ट प्रबंधन, समुद्री पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से संबंधित 42 विशिष्ट शर्तें सम्मिलित हैं, जिन्हें एक सशक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई), सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (सैकॉन), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएसएसी) जैसे विशेषज्ञ संस्थानों ने इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किए हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने स्पष्ट किया है कि उचित सुरक्षा उपायों के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, और शोपेन एवं निकोबारी समुदायों के कल्याण की निगरानी हेतु तीन स्वतंत्र निगरानी समितियों का गठन किया गया है। समितियाँ इस प्रकार हैं— प्रदूषण संबंधी मामलों की निगरानी हेतु समिति

जैव विविधता संबंधी मामलों की निगरानी हेतु समिति शोपेन और निकोबारी समुदायों के कल्याण एवं उनसे जुड़े मुद्दों की निगरानी हेतु समिति

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च समिति का गठन किया गया है, ताकि सभी हितधारकों के बीच ईसी और सीआरजेड की शर्तों का समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह समिति निरीक्षण, निगरानी और अंतर-संस्थागत समन्वय के लिए एक केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करती है।

परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले, इसे कई स्तरों पर कड़ी वैधानिक जांच से गुजरना पड़ा है। इसी प्रक्रिया के तहत एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की गई है, जो निर्माण से लेकर परियोजना के संचालन तक कृहर चरण में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के ठोस उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) एक ऐसा व्यापक खाका है जो प्रस्तावित परियोजना के साथ सतत विकास सुनिश्चित करता है। इसमें उद्योग, सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी निहित है, ताकि विकास और प्रकृति के बीच एक आदर्श सामंजस्य बना रहे।

इसमें पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के उपाय किए गए हैं। नुकसान को कम करने की प्रक्रिया सीधे इसके स्रोत और परियोजना स्थल, दोनों स्तरों पर की जा रही है। परियोजना के संचालन के दौरान, ईएमपी का मुख्य फोकस आर्थिक विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले निरंतर प्रभावों को न्यूनतम करने पर केंद्रित रहता है।

ग्रेट निकोबार परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपों के कुल वन क्षेत्र का मात्र 1.82 प्रतिशत हिस्सा ही उपयोग में लाया जाएगा। चिन्हित क्षेत्र में वृक्षों की अनुमानित संख्या 18.65 लाख है, किंतु सरकार ने इसे न्यूनतम रखने का प्रयास किया है और अधिकतम 7.11 लाख वृक्ष ही काटे जाने की संभावना है, जो 49.86 वर्ग किमी वन क्षेत्र में विस्तृत हैं। वृक्षों की यह कटाई एक साथ न होकर, विभिन्न परियोजनाओं के चरणबद्ध विकास के अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से की जाएगी। पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करने हेतु 65.99 वर्ग किमी क्षेत्र को श्रौन जोनर के रूप में संरक्षित रखा जाएगा, जहाँ एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। चूँकि द्वीपों पर पहले से ही 75 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र उपलब्ध है, अतः नियमों के अनुसार वन क्षेत्र को हाने वाली क्षति की भरपाई का कार्य हरियाणा में किया जा रहा है। इसके लिए प्रथम चरण के 48.65 वर्ग किलोमीटर वन डायवर्जन के बदले हरियाणा में 97.30 वर्ग किलोमीटर भूमि को वनीकरण हेतु चिन्हित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शक पेड़ों के नामर अभियान के अंतर्गत अब तक 2.4 मिलियन पौधे रोपे जा चुके हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, मंगोलॉयड मूल की दो प्रमुख जनजातियों का निवास स्थल है। यहाँ शोपेन समुदाय (लगभग 237 सदस्य) निवास करते हैं, जो मुख्य रूप से शिकार और संग्राहक हैं। इनके साथ ही यहाँ निकोबारी समुदाय (लगभग 1,094 सदस्य) भी रहते हैं, जो तटीय बस्तियों में बसे हुए हैं और अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना की रूपरेखा अत्यंत सूक्ष्मता और संवेदनशीलता के साथ तैयार की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निकोबारी और शोपेन समुदायों को अपने मूल स्थान से विस्थापित न होना पड़े। परियोजना क्षेत्र के भीतर जनजातीय आवास केवल न्यू चिंगेन और राजीव नगर में स्थित हैं और प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि इन समुदायों के पुनर्वस या विस्थापन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

ग्रेट निकोबार परियोजना, शोपेन नीति 2015 और जरावा नीति 2004 के सिद्धांतों के पूरी तरह अनुरूप है। ये नीतियाँ यह अनिवार्य करती हैं कि किसी भी बड़े स्तर के विकास प्रस्ताव में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कल्याण और उनकी अखंडता को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाए तथा एक व्यवस्थित परामर्श प्रक्रिया का पालन किया जाए। जनजातीय हितों की सुरक्षा हेतु, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। यह समिति निर्माण और संचालन—दोनों चरणों के दौरान शोपेन और निकोबारी समुदायों को प्रभावित करने वाले विषयों की कड़ी निगरानी करेगी। इसके अतिरिक्त, समुदायों की सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कल्याण निदेशालय, अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजेवीएस) और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई) जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ विस्तृत परामर्श किया गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन का ढांचा संविधान के अनुच्छेद 338ए (9) के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप है, जिसमें क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के हितों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने इस विकास परियोजना के क्रियान्वयन के अतिरिक्त इन जनजातियों को प्रभावित करने वाला कोई भी नया नीतिगत कदम नहीं उठाया है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि पूरी योजना प्रक्रिया के केंद्र में जनजातीय अधिकार और उनका कल्याण सर्वोपरि बना हुआ है।

वर्तमान में, ग्रेट निकोबार द्वीप का 751.070 वर्ग किमी क्षेत्र आधिकारिक रूप से जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित कुल 166.10 वर्ग किमी भूमि में से, 84.10 वर्ग किमी क्षेत्र जनजातीय आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालाँकि, इस हिस्से में से 11.032 वर्ग किमी भूमि का वर्ष 1972 से ही नियमितिकरण किया जा चुका है और इसे शराजस्व भूमि

के रूप में उपयोग किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, प्रभावी रूप से शेष 73.07 वर्ग किमी क्षेत्र को परियोजना के उद्देश्यों हेतु डी-नोटिफाई किया जा रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, 76.98 वर्ग किमी नई भूमि को पुनः रजनजातीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है। इस प्रकार, जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में 3.912 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि होगी। विशेष रूप से, पहले चरण में केवल 40.01 वर्ग किमी जनजातीय क्षेत्र परियोजना में शामिल है, जिसमें से 11.032 वर्ग किमी भूमि 1972 से ही राजस्व उपयोग के अधीन है। भौगोलिक रूप से यह द्वीप भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील और चक्रवात संभावित क्षेत्र में स्थित है। इसे ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक जोखिम आकलन अध्ययन किया गया है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं (सुनामी, भूकंप, चक्रवात) के साथ-साथ मानव-जनित जोखिमों (औद्योगिक खतरा, दुर्घटनाएँ) को भी शामिल किया गया है। आपात स्थितियों के लिए पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने हेतु एक संवेदनशीलता एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, गैस और सौर ऊर्जा पर आधारित एक हाइड्रिक पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। यह न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में बिजली आपूर्ति की निरंतरता और आपदा-सक्षमता सुनिश्चित करेगा।

ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार समग्र विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेश के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यह परियोजना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री उपस्थिति और रणनीतिक पहुंच को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की महत्वपूर्ण स्थिति का लाभ उठाती है और साथ ही, इसमें पर्यावरण सुरक्षा और जनजातीय कल्याण के प्रभावी सुरक्षा तंत्र को भी समाहित किया गया है। वन्यजीव संरक्षण, वन क्षेत्र को होने वाली क्षति की भरपाई, आपदा आपदा की तैयारी और सामाजिक समावेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि विकास का मार्ग पर्यावरण की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ समन्वय विचारक प्रशस्त किया जा सकता है।

अंततः, यह परियोजना पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भविष्य की बड़े स्तर की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है। यह सिद्ध करती है कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं, ताकि राष्ट्रीय और वैश्विक हितों की सर्वोत्तम सेवा की जा सके।

उर्वरकों का संतुलित उपयोग—समय की आवश्यकता — पृष्ठ 1 का शेष

रासायनिक उर्वरकों की वर्तमान कमी तथा उनके अंधाधुंध उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए डॉ. मुरुगानंदम ने जैविक खादों और जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं उपयोग में आत्मनिर्भरता की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वर्मा-कम्पोस्टिंग, गोबर की सड़ी खाद (एफवाईएम) के उत्पादन तथा खेत स्तर पर जैव उर्वरकों के उपयोग को अपनाने की जोरदार अपील की। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ एवं सतत कृषि प्रणाली की ओर यह परिवर्तन िविकास एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों और किसान समुदाय के समन्वित प्रयासों से ही संभव है।

डॉ. रफ़ीक रहमान अलाइथोडी, वरिष्ठ वैज्ञानिक (पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन), ने आगामी मानसून ऋतु में पशुधन के सम्भालने वाली प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा की तथा पशु उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक निवारक एवं उपचारक उपायों की जानकारी दी। डॉ. पुनीत पी.वी., वैज्ञानिक (सब्जी विज्ञान), ने सब्जी एवं फल फसलों की उत्पादकता बनाए रखने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने फसलों की विभिन्न वृद्धि अवस्थाओं और पोषक आवश्यकताओं के अनुसार फसल-विशिष्ट उर्वरक प्रबंधन अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की प्रमुख फसलों की पोषक आवश्यकताओं तथा उर्वरक प्रबंधन रणनीतियों को दर्शाने वाला एक प्रदर्शन बैनर प्रदर्शित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को विषय की बेहतर समझ प्राप्त हुई। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के उपयुक्त विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया तथा आईसीएआर-सीआईएआरआई एवं इसके कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में उपलब्ध जैविक एवं जैव उर्वरक उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण अवसरों की जानकारी प्रदान की गई।

इस कार्यक्रम में 25 किसानों, जिनमें 9 महिला किसान तथा 10 युवा किसान शामिल थे, ने सक्रिय भागीदारी की। संवादक सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने जैविक एवं जैव उर्वरक आधारित आदानों की उपलब्धता, तैयारी, उपयोग विधि तथा उपयुक्त प्रयोग समय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 का सख्त अनुपालन

श्री विजय पुरम, 2 मई। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सभी संबंधित लोगों, निवासियों, संस्थानों, थोक उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, निजी संगठनों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने वाली फर्मों को यह सूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) अपनी जगह पर मैनेज किए जाने वाले सभी ई-वेस्ट को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए ई-वेस्ट (मैनेजमेंट) नियम, 2022 के नियमों के अनुसार सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसे https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/E-Waste/e-waste_rules_2022-pdf पर उपलब्ध है या क्यूआर कोड स्कैन करके भी प्राप्त किया जा सकता है। सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि : 1. ऑथराइज्ड हैंडलिंग और डिस्पोजल : नियमों के तहत बताए गए किसी भी तरह के सभी ई-वेस्ट को, जो सृजन हुआ है, सिर्फ मंजूर और प्राधिकृत चैनलों के जरिए इकट्ठा और चैनलाइज किया जाएगा और भारत में कहीं भी मौजूद प्राधिकृत ट्रीटमेंट, भंडारण और डिस्पोजल सुविधाओं तक पहुँचाया जाएगा। 2. मैनिफेस्ट सिस्टम और एनओसी की जरूरत : ई-वेस्ट का परिवहन, पारदर्शिता और ट्रेसिबिलिटी पक्का करने के लिए नियमों के तहत बताए गए मैनिफेस्ट सिस्टम के तहत सख्ती से किया जाएगा। ई-वेस्ट के अंतर्राज्य परिवहन के लिए ANPCC से पहले अनापति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना जरूरी है। 3. ऑथराइज्ड एंटीटैज के साथ जुड़ना : बल्क कम्प्यूटर, इंस्टीट्यूशन और बिजनेस सिर्फ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर)-कम्प्लायंट रजिस्टर्ड रीसाइक्लर और MoEF&CC और CPCB से सही तरीके से ऑथराइज्ड कलेक्शन एजेंसियों के साथ ही जुड़ें। अनरजिस्टर्ड या अनऑथराइज्ड हैंडलर/सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ना पूरी तरह से मना है। 4. इनफॉर्मल हैंडलिंग पर रोक : ई-वेस्ट का इनफॉर्मल कलेक्शन, तोड़ना, ठीक करना या रीसाइक्लिंग पूरी तरह से मना है और इसके लिए लागू एनवायरनमेंटल कानूनों के तहत एक्शन लिया जाएगा। 5. जरूरी रजिस्ट्रेशन और पालन : सभी मैनुफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफिशर और रीसाइक्लर को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ईपीआर पोर्टल <https://eprewaste.cpcb.gov.in> पर रजिस्टर करना होगा और ई-वेस्ट कलेक्शन और पर्यावरण के लिए सही रीसाइक्लिंग के लिए अपने तय सालाना टारगेट का पालन करना होगा। 6. पब्लिक पार्टिसिपेशन : आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-कानूनी ई-वेस्ट हैंडलिंग, प्रोसेसिंग या डिस्पोजल के किसी भी मामले की रिपोर्ट ANPCC को dstpcc-andamans@and.nic.in पर ईमेल करें। ई-वेस्ट की गलत हैंडलिंग से पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिसमें मिट्टी का खराब होना, हवा का प्रदूषण और नाजुक पानी के इकोसिस्टम को नुकसान शामिल है। इसलिए सभी स्टेकहोल्डर से ऊपर दिए गए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की जाती है। यह अण्डमान तथा निकोबार आईलैंड्स में पर्यावरण की सुरक्षा और ई-वेस्ट के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के हित में है।



कालीघाट संयुक्त अभियान में अवैध लकड़ी बरामद

मायाबन्दर, 2 मई। 29 अप्रैल, 2026 को पश्चिमसागर गांव के अंतर्गत 5 प्लॉट क्षेत्र में अवैध रूप से आरे से कटी लकड़ी के परिवहन की विश्वसनीय सूचना के आधार पर, पुलिस थाना कालीघाट की टीम ने, एसआई शिबेंद्र हलदर, एसएचओ थाना कालीघाट के नेतृत्व में, ओपी किशोरीनगर के स्टाफ तथा संबंधित वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई की। क्षेत्र एवं आसपास के जंगलों की तलाशी के दौरान, टीम ने विभिन्न आकारों की 26 अवैध आरे से कटी लकड़ी के टुकड़े बरामद किए, जिनमें मूल्यवान पड़ाक एवं थिंगम लकड़ी शामिल है। इनकी कुल अनुमानित मात्रा लगभग 0.382 घन मीटर है। उक्त लकड़ी को घने जंगल की झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। विस्तृत तलाशी के बावजूद कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका। बरामद लकड़ी को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सामान्य जनता से अनुरोध है कि किसी



भी अपराध या अवैध गतिविधियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन नंबर 100, 112 अथवा 034192-273344 पर साझा करें। सूचनादाताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा उपयुक्त पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।

टुसनाबाद में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

श्री विजय पुरम, 2 मई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टुसनाबाद में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (एफएनएचडब्ल्यू) विषय पर सामाजिक कल्याण विभाग की सक्रिय भागीदारी के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कल्याण विभाग की राज्य समन्वयक श्रीमती के. जान्शी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें श्रीमती शारन्या एवं श्री सुंदर राव ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सामुदायिक कल्याण के लिए उचित पोषण, स्वच्छता एवं साफ-सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला। बीडीओ फरारंगज की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सत्र के दौरान डॉ. शारन्या ने एफएनएचडब्ल्यू पहलू की विस्तृत जानकारी दी तथा



ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य मानकों में सुधार में इसकी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र) के बारे में भी जानकारी दी, इसके आवेदन की प्रक्रिया समझाई तथा इनके लाभों से अवगत करायी।

मई की गर्मी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, आईएमडी के पूर्वानुमानों का करें पालन—विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

नई दिल्ली, 02 मई। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि मई में पड़ने वाली संभावित गर्मी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग (आईएमडी) की भविष्यवाणियों और सामान्य सावधानियों का पालन करके अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचा जा सकता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वांतर और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और हीटवेव (लू) की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या उससे कम तापमान रहने की संभावना है।

डॉ. सिंह ने लोगों से अपील की कि वे पर्याप्त पानी पिएं, दिन के सबसे गर्म समय में लंबे समय तक धूप में रहने से बचें और अपने आसपास के कमजोर लोगों का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि आईएमडी के दैनिक अपडेट और प्रभाव-आधारित पूर्वानुमानों का पालन करने से स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी

हैदराबाद में 6,000 लोगों ने एक साथ किया भुजंगासन, बना एशिया रिकॉर्ड

हैदराबाद, 02 मई।

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिनों की उलटी गिनती के अवसर पर हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई। इस भव्य आयोजन में करीब 6,000 लोगों ने एक साथ ‘भुजंगासन’ कर नया एशिया रिकॉर्ड बनाया। यह कार्यक्रम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों ने निर्धारित समय तक एक साथ भुजंगासन का अभ्यास करते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया, जिसे आधिकारिक मान्यता भी प्राप्त हुई।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि लोगों को योग को अपनी दैनिक जीवनशैली में शामिल करने के लिए प्रेरित करना भी था। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के उच्चायोग के प्रतिनिधि वर्युअल माध्यम से जुड़े, जबकि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए योग साधकों और शरणार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। योगाभ्यास का नेतृत्व

किचन के बर्तन भी तय करते हैं सेहत, जानें दूध उबालने में सही विकल्प चुनना क्यों हैं जरूरी

नई दिल्ली, 02 मई।

दूध हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ऐसे में इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि दूध को किस बर्तन में उबाला जा रहा है, क्योंकि बर्तन का चुनाव दूध की गुणवत्ता, स्वाद और उसके पोषण पर असर डाल सकता है। अगर सही बर्तन चुना जाए तो दूध ज्यादा सेहतमंद रह सकता है। वहीं गलत बर्तन में दूध उबालने से उसके पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं और कभी-कभी सेहत पर भी असर पड़ सकता है।

सबसे पहले बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन की, जो आज लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है। यह सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प माना जाता है, क्योंकि स्टील दूध के साथ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता, जिससे दूध के पोषक तत्व बैसे ही बने रहते हैं। इसके अलावा, अगर सही तरीके से गर्म किया जाए, तो इसमें दूध जलने का खतरा भी कम होता है। यही वजह है कि पोषण विशेषज्ञ भी स्टील के बर्तन को रोजमर्रा के उपयोग के लिए सबसे अच्छा मानते हैं।

वहीं मिट्टी के बर्तनों में दूध उबाला भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। पुराने समय से गांवों में दूध मिट्टी के बर्तन में ही उबाला जाता रहा है। मिट्टी के बर्तन में दूध धीरे-धीरे गर्म होता है, जिससे उसका स्वाद अच्छा बना रहता है और जलने की संभावना भी कम होती है। कुछ लोगों का मानना है कि मिट्टी दूध को पूरी तरह प्राकृतिक बना देती है और इसे पचाना आसान होता है, हालांकि यह

स्पेस में ऐसे पौधे उगाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जानें क्या है ‘वेजी’ सिस्टम

नई दिल्ली, 02 मई।

जैसे-जैसे इंसान गहरे अंतरिक्ष की यात्रा की तैयारी कर रहा है, पौधों का महत्व और बढ़ गया है। सिर्फ सुंदरता या ऑक्सीजन के लिए नहीं बल्कि ताजे भोजन, विटामिन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अंतरिक्ष में पौधे उगाना जरूरी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसी उद्देश्य के साथ स्पेस स्टेशन पर ‘वेजी’ नामक एक खास वैजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम के साथ काम करता है, जिसका नाम वेजी है।

वेजी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगा एक छोटा सा ‘स्पेस गार्डन’ है। यह एक कैरी-ऑन बैग के आकार का सिस्टम है, जिसमें आमतीर पर छह पौधे एक साथ उगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य माइक्रोग्रैविटी में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना और अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा, पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

वेजी में प्रत्येक पौधा मिट्टी आधारित तकिए में उगाया जाता है। इन तकियों में विशेष उर्वरक और विकास के लिए तत्व भरा होता है। ये तकिए जड़ों तक पानी, पोषक तत्व और हवा का सही संतुलन बनाए रखते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण पानी बुलबुले बना लेता है, इसलिए यह संतुलन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। पौधों को ऊपर एलईडी लाइट्स रोशनी देता है। चूंकि पौधे लाल और नीली रोशनी का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए वेजी का चैंबर अक्सर गुलाबी-लाल रंग में चमकता दिखाई देता है।

वेजी में अब तक कई प्रकार के पौधे सफलतापूर्वक उगाए जा चुके हैं, जिनमें लेट्यूस की तीन किस्में, चाइनीज

सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जैसा कि आईएमडी की नवीनतम मासिक और विस्तारित अवधि की रिपोर्ट में बताया गया है। मंत्री ने कहा कि समय पर तैयारी और मौसम विभाग की सलाह का पालन करके हीटवेव की स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

आईएमडी के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों, पूर्वी तट के कुछ हिस्सों (ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु), गुजरात और महाराष्ट्र में हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है। इन क्षेत्रों में सामान्य से 2–4 दिन अधिक लू चल सकती है। मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे उत्तर-पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत तथा पूर्वी तट के कुछ हिस्सों में गर्मी की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ समय में रात के तापमान में बढ़ोतरी भी गर्मी की परेशानी को बढ़ा सकती है, खासकर शहरी और तटीय क्षेत्रों में। पूर्वी तट, गुजरात और महाराष्ट्र में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में रबी फसलों की कटाई के लिए सामान्य रूप से अनुकूल हैं।



संस्थान के निदेशक डॉ. काशीनाथ ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को सही तरीके से आसन करने के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में कमलेश पटेल (दाजी), जो श्री राम चंद्र मिशन के अध्यक्ष हैं, के निर्देशन में सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस ध्यान सत्र ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। यह उपलब्धि न केवल बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी को दर्शाती है, बल्कि योग और समग्र स्वास्थ्य के प्रति समाज में बढ़ती जागरूकता और प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है।



बात वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है।

कांसा और पीतल के बर्तन भी पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार, कांसा और पीतल के बर्तन भोजन को संतुलित बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इन बर्तनों की सफाई और देखभाल बहुत जरूरी है, वरना इनमें मौजूद धातु भोजन पर असर डाल सकते है। इसलिए दूध उबालने के लिए इनका इस्तेमाल सावधानी के साथ ही करना चाहिए।

एल्युमिनियम के बर्तन में दूध उबालना शरीर के नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा गर्मी के चलते धातु भोजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। लंबे समय तक इसका उपयोग सेहत के लिए सही नहीं माना जाता। इसी तरह नॉन-स्टिक बर्तनों में भी तेज गर्मी पर कुछ रसायन निकलने का खतरा रहता है, इसलिए दूध जैसे पीने वाले खाद्य पदार्थ के लिए यह सुरक्षित विकल्प नहीं है।

घरती के अस्तित्व के लिए सूर्य है जरूरी, इसलिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस

नई दिल्ली, 02 मई।

पूरी मानव जाति जितनी ऊर्जा पूरे एक वर्ष में उपयोग करती है, उतनी ऊर्जा सूर्य एक घंटे में पृथ्वी को देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जब पूरी दुनिया मानवता के अस्तित्व पर संकट महसूस कर रही हो तो सौर ऊर्जा ऐसे में सबसे प्रासंगिक मुद्दा बनता जा रहा है। साल 2021 में ग्लासगो में जब दुनिया के देश इसी विषय पर चिंतन कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक सूरज, एक विश्व, एक ग्रिड के मंत्र को दोहराया। यह बदलते वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ही हर साल 3 मई को अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमताओं में लगातार वृद्धि ही नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के बीच अकेला देश है जिसने अपने नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया है।

सौर ऊर्जा के महत्त्व को बताने के लिए पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है यह तारीख सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए याद की जाती है। देश में ऊर्जा की जरूरतों पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘सूर्योदय योजना’ शुरु की है। इसका उद्देश्य देश में एक करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। सूरज की रोशनी से बनी इस बिजली के उपयोग से दैनिक जीवन में विजली की खपत को कम किया जा सकता है।

इसके अलावा पीएम कुसुम महाभियान के जरिए किसानों को बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा पैदा कर आत्मनिर्भर बनाने की पहलभी की गई। भारत के हर राज्य में कम से कम एक सौर शहर की स्थापना पर काम किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सबसे बड़े 75 मेगावाट (101 मेगावाट डीसी) क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई। मिर्जापुर जिले के विजयपुर ग्राम में लगभग 528 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित इस संयंत्र से प्रतिवर्ष 13 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इस संयंत्र की स्थापना

इतिहास के पन्नों में 03 मई: भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर ‘राजा हरिश्चंद्र’

नई दिल्ली, 02 मई।

विश्व इतिहास में 03 मई की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन भारतीय सिनेमा के संदर्भ में यह दिन खास महत्त्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ का प्रदर्शन हुआ था।

यह फिल्म तत्कालीन बम्बई (अब मुंबई) में प्रदर्शित की गई थी और इसे भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखने वाला ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। इस मूक फिल्म का निर्देशन और निर्माण दादासाहेब फाल्के ने किया था, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है।

‘राजा हरिश्चन्द्र’ पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म थी, जिसमें सत्य और धर्म की कहानी को पर्दे पर उतारा गया। उस दौर में तकनीकी संसाधनों की कमी के बावजूद इस फिल्म का निर्माण अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय फिल्मों में महिला कलाकारों की भागीदारी सीमित थी, इसलिए कई महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों ने निभाई थी।

इस फिल्म की सफलता ने भारत में फिल्म निर्माण की दिशा बदल दी और आने वाले वर्षों में सिनेमा एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हुआ। आज भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है, जिसकी शुरुआत इसी ऐतिहासिक दिन से जुड़ी मानी जाती है।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम—1660 — स्वीडन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ने ओलिव शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

1764— बंगाल के नवाब मीर कासिम को अंग्रेजों ने हराया।
1765 — फिलाडेल्फिया में पहला अमेरिकी मेडिकल कॉलेज खुला।

1845— चीन के कैंटन में थियेटर में आग लगने से 1600 लोगों की मौत।

1896— भारत के राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री वी. के. कृष्ण मेनन का जन्म

1913 — पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चन्द्र प्रदर्शित हुई।

1919 — अमानुल्ला खान द्वारा ब्रिटिश भारत पर आक्रमण।

1961 — कर्मांडर एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले

सूखे इलाकों के किसानों के लिए वरदान है स्प्रिंकलर सिस्टम, जानिए इसके जबरदस्त फायदे

नई दिल्ली, 02 मई।

खेती में पानी का सही उपयोग आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है. कई इलाकों में पानी की कमी, अनियमित बारिश और भूजल स्तर गिरने जैसी समस्याओं के कारण किसानों को सिंचाई के नए और बेहतर तरीकों की तलाश करनी पड़ रही है. ऐसे समय में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली किसानों के लिए एक प्रभावी समाधान बनकर सामने आई है.

पहले यह तकनीक केवल घरों के लॉन और बगीचों में पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब यह खेती में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. आज देश के कई राज्यों में किसान इस आधुनिक सिंचाई प्रणाली को अपनाकर पानी की बचत के साथ अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई प्रणाली लगाने पर किसानों को 50 फीसदी से 90 फीसदी तक की भारी सब्सिडी मिलती है. यह सहायता राशि लघु, सीमांत, महिला और SC/ST किसानों को 90 फीसदी (या 25,000 /हेक्टेयर तक), जबकि अन्य किसानों को 70–80 फीसदी तक दी जाती है. स्प्रिंकलर सिंचाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेत में पानी बिकुल बारिश की तरह छिड़का जाता है. इसमें पानी को पंप के माध्यम से पाइपलाइन में भेजा जाता है और फिर स्प्रिंकलर हेड के जरिए पूरे खेत में बूंदों के रूप में फैलाया जाता है.

जब यह पानी हवा में घूमते हुए खेत में गिरता है तो यह बारिश जैसा प्रभाव पैदा करता है. इससे खेत के हर हिस्से में समान रूप से नमी पहुंचती है और पौधों को पर्याप्त पानी



फ्रांस की कंपनी ईएनजीआईई ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सौर पार्क योजना के अंतर्गत की है।

दरअसल सूर्य से प्राप्त शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिये सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। सोलर पैनलों में सोलर सेल होते हैं, जो ऊर्जा को उपयोग करने लायक बनाते हैं। भारतीय भू-भाग पर पांच हजार लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत पांच किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर होता है।

एक मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिये लगभग तीन हेक्टेयर समतल भूमि की जरूरत होती है। प्रकाश विद्युत विधि में सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए फोटोवोल्टेइक सेलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सौर तापीय विधि में सूर्य की ऊर्जा से हवा या तरल पदार्थों को गर्म किया जाता है और इसका उपयोग घरेलू काम में किया जाता है। इस दिवस की उपयोगिता बढ़ते पर्यावरण आंदोलन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज को संदर्भित करती है।1977 में पारित एक संयुक्त प्रस्ताव के बाद अमेरिकी कांग्रेस द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तिथि निर्धारित करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 03 मई 1978 को पहला आधिकारिक सूर्य दिवस मनाया था।



अमेरिकी यात्री बने।

1965 — कंबोडिया ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किए।

1989 — देश के पहले 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का हरियाणा में शुभारंभ।

1993—संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की।

1998 — यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का यूरोपीय नेताओं का ऐतिहासिक फैसला।

2002 — अमेरिकी मीडिया ने परवेज मुशर्रफ के जनमत संग्रह को शर्मनाक जनमत संग्रह बताया।

2003 — ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने।

2004 — वेस्टइंडीज ने छठे एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को चार विकेट से परास्त किया।

2006 — पाकिस्तान और ईरान ने 3 देशों की गैस पाइप लाइन परियोजना से भारत को अलग करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय गैस पाइप लाइन करार पर दस्तखत किए।

शिक्षाविद कमलेश पटेल को ब्रिटेन के हाउस आफ लार्ड्स में गैर दलीय पीयर नियुक्त किया गया।

2008 — टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस प्राप्त हुआ।

2008 — पाकिस्तानी जेल में सजा काट रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की फॉंसी की सजा अनिश्चित समय तक टाली गई।

सूखे इलाकों के किसानों के लिए वरदान है स्प्रिंकलर सिस्टम, जानिए इसके जबरदस्त फायदे

नई दिल्ली, 02 मई।



मिल जाता है. इस प्रणाली का इस्तेमाल खेत, बगीचे, सब्जी की खेती और कई नकदी फसलों में आसानी से किया जा सकता है.

स्प्रिंकलर सिंचाई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पानी का उपयोग बहुत संतुलित तरीके से होता है. पारंपरिक सिंचाई में कई बार पानी का बड़ा हिस्सा बहकर बंकार चला जाता है, लेकिन स्प्रिंकलर प्रणाली में पानी बूंदों के रूप में सीधे पौधों तक पहुंचता है.

इस तकनीक से खेत के बड़े हिस्से में एक साथ सिंचाई की जा सकती है. इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है. इसके अलावा खेत में पानी का समान वितरण होने से फसल की वृद्धि भी बेहतर होती है और उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है.

स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती. एक बार सिस्टम लग जाने के बाद किसान आसानी से बड़े क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं. यही कारण है कि कई किसान इसे पारंपरिक सिंचाई के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं.

दस साल, बेमिसाल: यूपीआई बना दुनिया का सबसे बड़ा तत्काल डिजिटल भुगतान मंच

नई दिल्ली, 02 मई।

कहीं से कहीं को तत्काल भुगतान करने की सुविधा मुट्ठी में पड़े मोबाइल फोन के जरिए आम लोगों तक पहुंचने वाली यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) नाम की खोज ने बाजार में अपने 10 साल पूरे कर लिये हैं और देखते ही देखते यह ऐप आधारित भुगतान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 11 अप्रैल 2016 को इसका लोकार्पण किया था। एक दशक में यह भारत में डिजिटल पेमेंट्स के पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ बन गया है। इस तरह की अवधारणा को भारत जैसे देश में आम लोगों द्वारा अपनाये जाने को लेकर पहले की तमाम दुविधाओं और आशंकाओं को गलत सिद्ध करते हुए यूपीआई वित्तीय समावेशन का एक अहम जरिया बनकर उभरा है।

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के जरिये 2016-17 में जहां सिर्फ दो करोड़ ट्रांजेक्शन (लेन-देन) हुए थे। वर्ष 2025-26 में यह संख्या 24,162 करोड़ से ज्यादा, यानी लगभग 12,000 गुना ज्यादा हो गयी। इसी दौरान ट्रांजेक्शन का मूल्य भी वित्त वर्ष 2016-17 में सात हजार करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान मूल्य के हिसाब से लेन-देन में इस तरह 4,000 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।



संख्या और मूल्य, दोनों में एक साथ हुई यह बढ़ोतरी, ज्यादा इस्तेमाल वाले रिटेल पेमेंट्स को बढ़ावा देने में यूपीआई की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक विज्ञापन में कहा कि यूपीआई द्वारा हासिल किए गए बेमिसाल पैमाने, भरोसेमंदता और इंटरऑपरेबिलिटी को दुनिया भर में पहचान मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे ट्रांजेक्शन की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना है, जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले, सभी के लिए सुलभ और नये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भारत की अगुवाई को दिखाता है। यूपीआई को आज एशिया और यूरोप के कई डिजिटल भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ा जा चुका है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कारोबारियों की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बना रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह

नई दिल्ली, 02 मई।

विदेश राज्यमंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह अमेरिका के न्यूयॉर्क में 4 से 8 मई तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (आईएमआरएफ) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (आईएमआरएफ) प्रवासन पर वैश्विक समझौते के कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों के साथ इसके अंतर्संबंध पर चर्चा और प्रगति साझा करने के लिए प्राथमिक अंतर-सरकारी वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। दूसरा आईएमआरएफ 2022 में आयोजित

पहले आईएमआरएफ की निरंतरता में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और अपने प्रवासी समुदाय के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इसमें चार संवादात्मक बहु-हितधारक गोलमेज सम्मेलन, एक नीतिगत बहस और एक पूर्ण सत्र शामिल होंगे। इसके परिणामस्वरूप एक प्रगति घोषणा को अपनाया जाएगा। यात्रा के दौरान सिंह न्यूयॉर्क में आयोजित आईएमआरएफ के पूर्ण सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस: सिर्फ पत्रकारिता नहीं, यह आपकी 'आवाज़' का उत्सव है!

नई दिल्ली, 02 मई।

हर साल 3 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और मीडिया की स्वतंत्रता को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। प्रेस केवल खबरें देने का माध्यम नहीं है यह समाज की आंख और कान है, जो सत्ता और आम जनता के बीच संतुलन बनाए रखती है। यह दिन केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो माइक थामे कैमरा के सामने खड़े होते हैं या अखबारों में कॉलम लिखते हैं। यह दिन उन करोड़ों लोगों के लिए है जिनके पास सूचना पाने और सच जानने का हक है।

पत्रकारिता का महत्व लोकतंत्र में सबसे अधिक है। स्वतंत्र मीडिया ही नागरिकों को सच्चाई तक पहुंचाता है, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, और समाज में जागरूकता फैलाता है। आज के डिजिटल युग में, जहां सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस ने सूचना के प्रसार को तेज और व्यापक बना दिया है, वहां प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके अलावा, यह दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम मीडिया पर भरोसा बनाए रख सकते हैं, और कैसे पत्रकारिता समाज के लिए सही दिशा में काम कर सकती है।

अक्सर कहा जाता है कि 'जहां शब्द आजाद नहीं होते, वहां लोकतंत्र दम तोड़ देता है।' आइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की गहराई और वर्तमान चुनौतियों को एक नए नजरिए से समझते हैं।

इसकी शुरुआत 1991 में यूनेस्को के एक सम्मेलन से हुई थी, जहां 'विंडहोक घोषणा' तैयार की गई। इसका मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करना और उन



सिद्धांतों की रक्षा करना था, जो पत्रकारिता को निष्पक्ष बनाते हैं। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा की।

आज के डिजिटल युग में प्रेस की स्वतंत्रता का चेहरा बदल गया है। अब चुनौतियां केवल फिजिकल हमलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि-फेक न्यूज का जाल- सोशल मीडिया पर फैलती झूठी खबरों के बीच असली पत्रकारिता को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। डिजिटल सर्विलांस- पत्रकारों की जासूसी और डेटा हैकिंग ने निजता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेंसरशिप का नया अवतार- एल्गोरिदम और पॉलिसी के नाम पर कई बार सच को दबाने की कोशिश की जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक स्वतंत्र प्रेस ही एक आजाद मुक्त की पहचान है। पत्रकारिता केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज है। इसलिए इस दिन पत्रकारों के योगदान को याद करें, उनके अधिकारों का सम्मान करें और मीडिया की आजादी की रक्षा के लिए सजग रहें। आइए, आज उन पत्रकारों को भी सलाम करें जिन्होंने सच को सामने लाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी।

अंडे में होते हैं हजारों छेद, फिर भी अंदर नहीं जाता पानी.. जानें इसके पीछे का विज्ञान

नई दिल्ली, 02 मई।

देश में रोज करोड़ों अंडे की खपत है। कोई अंडे का आमलेट बनाता है तो किसी को उबले अंडा खाना पसंद है। यानी किसी न किसी रूप में लाखों परिवार रोज अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा कि अंडे में छेद भी होते हैं। भले ही आपको विश्वास नहीं हो, लेकिन यह सच्चाई है। खास बात यह है कि अंडे में एक या दो छेद नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में होते हैं। ये छेद इतने अधिक बारीक होते हैं कि इनके अंदर पानी भी नहीं घुस पाता है। पोल्ट्री फार्मर्स ब्रॉयलर्स वेलफेयर फंडेशन (उत्तर प्रदेश) के प्रेसिडेंट एफएम शेख का कहना है कि अंडे में छेद बहुत छोटे होते हैं, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है।

पोल्ट्री फार्मर्स ब्रॉयलर्स वेलफेयर फंडेशन (उत्तर प्रदेश) के प्रेसिडेंट एफएम शेख ने किसान इंडिया से बात करते हुए कहा कि देश में करोड़ों के संख्या में रोज अंडे खाए जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वे जिस अंडे को खा रहे हैं, उसके अंदर छेद होते हैं। उन्होंने कहा कि मुर्गियों के अंडों के छिलके में लगभग 8,000 से 10,000 छोटे-छोटे छेद होते हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ये छेद अंडे के अंदर के श्रृण (चूजे) के लिए सांस लेने में मदद करते हैं। इनके जरिए चूजा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों बाहर निकलती हैं।

एफएम शेख ने बताया कि ये छोटे-छोटे छेद प्राकृतिक होते हैं, अंडा जब नया निकलता है तब थोड़ा नरम होता है, बाद में सख्त हो जाता है, लेकिन छिद्र वैसे ही बने रहते हैं। उन्होंने कहा अगर मुर्गी के खाने में कैल्शियम कम हो,

एक अंडे में लगभग 8,000 से 10,000 छोटे-छोटे छेद होते हैं



तो अंडे का छिलका पतला या कमजोर हो जाता है और छेद आसानी से बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर छेद बड़ा या दरार जैसी हो, तो उसमें बैक्टीरिया जा सकते हैं। उनके मुताबिक, इसलिए अंडे की बाहरी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत (क्यूटिकल/ब्लूम) होती है, जो इन छोटे छेदों के जरिए बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अंडे के छिलके का 90 फीसदी हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसलिए मुर्गियों को ऐसा चारा देना जरूरी है जिसमें पर्याप्त कैल्शियम हो, ताकि अंडे का छिलका मजबूत रहे और उसमें दरार या बड़े छेद न आए। एफएम शेख ने कहा कि, लेयर फीड में स्टार्टर या ग्रोवर फीड की तुलना में 3-4 गुना ज्यादा कैल्शियम होना चाहिए। इसके अलावा, ऑयस्टर शेल और लाइमस्टोन फिप्स भी अंडे कैल्शियम स्रोत हैं, जिन्हें अलग कटोरी या फीडर में मुर्गियों को दिया जा सकता है। ध्यान रहे कि सिर्फ कैल्शियम ही काफी नहीं है। मुर्गियों के शरीर में कैल्शियम का सही अवशोषण विटामिन व और अन्य पोषक तत्वों पर भी निर्भर करता है। संतुलित और उच्च गुणवत्ता वाला चारा अंडों के छिलकों को मजबूत बनाने और दरार या छेद से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है।

देशभर में 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' का सफल परीक्षण, आपदा के समय तुरंत पहुंचेगी सूचना

नई दिल्ली, 02 मई।

आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों तक त्वरित एवं प्रभावी सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' का शुभारंभ किया है। संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में लॉन्च की गई इस अत्याधुनिक प्रणाली का शनिवार को पूरे देश में सफल परीक्षण किया गया।

परीक्षण के दौरान लगभग 11.45 बजे देशभर में मोबाइल फोन पर एक साथ बीप ध्वनि के साथ इमरजेंसी अलर्ट संदेश प्राप्त हुआ। संदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यह केवल एक परीक्षण है और नागरिकों को किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस पहल का उद्देश्य आपदा के समय सूचना प्रसारण की तत्परता और प्रभावशीलता को परखना है।

दरअसल, यह प्रणाली संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से विकसित की गई है, ताकि संकट की घड़ी में नागरिकों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर पहुंचाई जा सकें। एनडीएमए ने दूरसंचार विभाग के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) द्वारा विकसित एकीकृत अलर्ट प्रणाली 'सचेत' को भी सफलतापूर्वक लागू किया है।

यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) पर आधारित है और वर्तमान में देश के सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। इसके माध्यम से भौगोलिक रूप से लक्षित क्षेत्रों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एसएमएस के जरिए आपदा और आपातकालीन चेतावनियां भेजी जा रही हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्रणाली के तहत अब तक प्राकृतिक आपदाओं, मौसम संबंधी चेतावनियों और चक्रवाती घटनाओं के दौरान 19 से अधिक भारतीय भाषाओं में 134 अरब से ज्यादा एसएमएस अलर्ट भेजे जा चुके हैं। आपदा चेतावनी तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अब एसएमएस के साथ 'सेल ब्रॉडकास्ट' तकनीक को भी शामिल किया गया है। इस तकनीक की मदद से किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद सभी मोबाइल उपकरणों



पर एक साथ अलर्ट भेजा जा सकता है, जिससे लगभग वास्तविक समय में सूचना पहुंचाना संभव हो जाता है।

सुनामी, भूकंप, आकाशीय बिजली, गैस रिसाव और अन्य रासायनिक खतरों जैसी अत्यंत संवेदनशील परिस्थितियों में यह प्रणाली विशेष रूप से कारगर साबित होगी। इस स्वदेशी सार्वजनिक आपातकालीन अलर्ट सिस्टम के विकास और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सी-डॉट को सौंपी गई है।

शुभारंभ अभ्यास के तहत दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर की राजधानियों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षण संदेश भेजा गया। संदेश में कहा गया, "भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए अपने नागरिकों के लिए त्वरित आपदा चेतावनी सेवा के लिए सेल ब्रॉडकास्ट का शुभारंभ। सचेत नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश की प्राप्ति पर किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। यह एक परीक्षण संदेश है।"

हालांकि, मेट्रो, बसों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ अलर्ट आने से कुछ समय के लिए लोगों में भ्रम और हल्की घबराहट देखी गई, लेकिन संदेश पढ़ने के बाद स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई।

सरकार ने इस पहल को 'सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस तरह के परीक्षण संदेशों से घबराएं नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल आपातकालीन सूचना प्रणाली को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाना है।

भारत ने पहली बार शुरू की बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम, अब और आसान हुआ टोल भुगतान

नई दिल्ली, 02 मई।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 1 मई को भारत का पहला मल्टी-लेन फ्री लो (एमएलएफएफ) बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की। यह सिस्टम गुजरात में सूरत-भरूच सेक्शन के एनएच-48 पर चौरयासी टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है, जिससे वाहन बिना रुके टोल दे सकेंगे।

यह आधुनिक सिस्टम ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (एनपीआर) और फास्टैग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे वाहन चलते-चलते ही टोल कट जाएगा। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के अनुसार, इस सिस्टम से यात्रा का समय कम होगा, हाईवे पर जाम घटेगा, ईंधन की बचत होगी, वाहन प्रदूषण कम होगा और टोल संचालन में मानव हस्तक्षेप भी कम होगा।

बयान में कहा गया कि एमएलएफएफ की शुरुआत भारत के टोल सिस्टम के डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। श्री गडकरी ने

कहा कि यह बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम आम लोगों के जीवन को आसान बनाएगा और व्यापार करने में भी सुविधा देगा, क्योंकि इससे माल और लॉजिस्टिक्स की आवाजाही तेज और अधिक प्रभावी होगी।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पहल देश में विश्वस्तरीय, तकनीक-आधारित, पारदर्शी और यात्रियों के अनुकूल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में देश के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर केवल डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी है।

मंत्रालय ने बताया कि 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर सभी यूजर शुल्क केवल डिजिटल माध्यम जैसे फास्टैग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए ही लिए जा रहे हैं। देश में फास्टैग का उपयोग 98 प्रतिशत से अधिक हो चुका है, जिससे टोल कलेक्शन प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि वे फास्टैग से जुड़े वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (वीआरएन) की तुरंत जांच करें।

पुडुचेरी में 4 मई को मतगणना, तीन-स्तरीय सुरक्षा के साथ 3,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात

पुडुचेरी, 02 मई।

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में आगामी 4 मई को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने व्यापक और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर 3,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी में लगाए गए हैं।

पुडुचेरी में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें 30 सीटों के लिए 1,099 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया गया था। इस चुनाव में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रिकॉर्ड 91.69 प्रतिशत मतदान दर्ज कराया था। ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अलग-अलग

स्थानों पर सुरक्षित स्टॉन्ग रूम में रखा गया है। पुडुचेरी क्षेत्र की ईवीएम मशीनें लासपेट स्थित सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज और टैंगोर सरकारी कला कॉलेज में सुरक्षित रखी गई हैं। वहीं कराईकल की पांच सीटों की ईवीएम करुणानिधि पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर में, माहे की ईवीएम सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा यनम की ईवीएम सरकारी कला कॉलेज में रखी गई हैं। इन सभी मतगणना केंद्रों पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती शामिल है। हर केंद्र पर चौकसी बढ़ा दी गई है और लगातार निगरानी की जा रही है।

मतगणना के दिन 4 मई को पूरे केंद्रशासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी रहेगी।

खाना के बाद होता है गर्मी का अहसास, पित्त से जुड़ा है शरीर की गर्मी का कनेक्शन

नई दिल्ली, 02 मई।

खाना खाने के बाद आमतौर पर सभी को अच्छा महसूस होता है, लेकिन कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पसीना आने लगता है और बेचैनी होने लगती है। कुछ लोगों के तेजी से गर्मी भी लगती है, लेकिन यह बिल्कुल भी सामान्य लक्षण नहीं है। यह संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। आयुर्वेद में उन लक्षणों को पाचन की परेशानी से जोड़कर देखा गया है। भले ही लक्षण सामान्य लगते हैं, लेकिन यह शरीर के भीतर बढ़ रही गर्मी को दिखाते हैं।

आयुर्वेद का मानना है कि जब शरीर में पाचन अग्नि का स्तर बढ़ जाता है, तब शरीर गर्म और तपा हुआ महसूस करने लगता है। ऐसा होने पर भोजन पेट में पचने की बजाय अधिक अग्नि से ठीक से पच नहीं पाता और शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है और हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा, तला-भूना या फिर अधिक मसालेदार भोजन लेने की वजह से भी शरीर में पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ने से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। पित्त बढ़ने के कारण शरीर में जलन, सीने में जलन, खट्टी डकार आना, और अत्याधिक गैस बनने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे पाचन भी प्रभावित होता है और खाने के बाद बेचैनी महसूस होती है।

कई बार गलत फूड कॉम्बिनेशन के सेवन से भी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे पाचन अग्नि प्रभावित



होती है और शरीर के भीतर गर्मी का स्तर भी बढ़ जाता है। लिवर की बिगड़ी कार्यशैली भी पाचन पर असर डालती है। जब लिवर ही गति से काम नहीं करता तो शरीर भोजन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, और यही कारण है कि खाना ठीक से न पचने के बाद बेचैनी और घबराहट होती है।

अब सवाल है कि इन समस्याओं से कैसे राहत पाई जाए। इसके लिए आहार का संतुलित होना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि संतुलित और हल्का आहार लें, जो पचने में आसान रहे। तला-भूना या फिर अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें। आहार में पित्त को शांत करने वाली चीजों को शामिल करें, जिससे शरीर की गर्मी हो। शरीर की गर्मी संतुलित होने से पाचन आसानी से होगा और गर्मी भी कम बनेगी।